फा.सं.7/61/2017-ले.क्र.

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

94,संसद भवन, नई दिल्ली-110001

तारीख: 03.08.2022

नीलामी सूचना

विषय: फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, टीवी और फर्नीचर आदि जैसे पुराने और अनुपयोज्य ई-अपशिष्ट का एक ही लॉट में निपटान।

संलग्न सूची के अनुसार 'जैसा है जहां है' के आधार पर फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, टीवी और फर्नीचर आदि जैसे पुराने और अनुपयोज्य ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रतिष्ठित फर्मों से एकल बोली प्रणाली में नए कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा संबंधी दस्तावेज जैम पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली संबंधी दस्तावेज, वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में 2000/- रुपये (दो हजार रुपये केवल) की बयाना राशि के साथ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोटेशन दिनांक **23.08.2022** को अपराह्न 2:00 बजे तक या उससे पहले पहुंच जानी चाहिए। अनुबंधित तारीख एवं समय के बाद प्राप्त होने वाली कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। कोटेशनों को दिनांक 24.08.2022 को पूर्वाह्न 10:00 बजे कमरा नंबर 94, संसद भवन में खोला जाएगा।

3. इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रोफार्मा में बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए। डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के रूप में 2000/- रुपये (दो हजार रुपये केवल) की बयाना राशि (मूल रूप में) के अतिरिक्त वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में कोई भौतिक कागज-पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे।

4. इस टेंडर के माध्यम से विक्रय को निम्नलिखित निबंधन और शर्तों के अनुसार शासित किया जाएगा:-

क. इच्छुक पक्षकार अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों (पैन कार्ड, फर्म के जीएसटी पंजीकरण, पते के प्रमाण की प्रति) के साथ इस टेंडर दस्तावेज के साथ संलग्न प्रोफार्मा में पुरानी ई-अपशिष्ट मदों के लिए अपनी उच्चतम कीमतें प्रस्तुत कर सकते हैं।

ख. ई-अपशिष्ट मदों का निस्तारण कड़ाई के साथ 'जैसा है जहां है' के आधार पर होगा और इस विभाग द्वारा उनकी उपयोगिता या गुणवत्ता की कोई गारंटी या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। बोलीदाता दूरभाष 011-23034755 पर पहले से समय लेकर दिनांक 17.08.2022 को दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे के बीच जामनगर हाऊस, बैरेक्स और संसद भवन, नई दिल्ली में सामान का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण कर सकते हैं।

ग. यदि इस मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत उच्चतम निविदाकार/सफल निविदाकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर विक्रय मूल्य जमा करने में विफल रहता है तो उसकी बयाना राशि को जब्त कर लिया जाएगा। यदि किसी निविदाकार द्वारा प्रस्ताव को वापस लिया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि ज़ब्त कर ली जाएगी।

घ. सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) के लिए संविदा मिलने के तीन कार्य दिवस के भीतर वेतन और लेखा अधिकारी, मंत्रिमंडल कार्य, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर/बैंकर्स चेक के माध्यम से बिक्री की कुल राशि जमा करनी अपेक्षित होगी।

ङ. निर्धारित समय सीमा में बोली का भुगतान करने में विफल रहने वाले बोलीदाताओं की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर इस मंत्रालय द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बयाना राशि को बिक्री की राशि में समायोजित नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) की बयाना राशि बिक्री प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन के बाद ही जारी की जाएगी। असफल बोलीदाता बिक्री प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद अपनी बयाना राशि प्राप्त कर सकते हैं।

च. सफल बोलीदाता की आवासीय स्थिति (व्यक्ति के मामले में राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र और फर्मों के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र) के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात ही विक्रय की गई ई-अपशिष्ट मदों की सुपुर्दगी की व्यवस्था की जाएगी।

छ. विक्रय की गई ई-अपशिष्ट मदों को सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा राशि जमा करने के 48 घंटो के भीतर अपले खर्च पर हटा लिया जाएगा। विभाग द्वारा कोई सहायता/परिवहन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। संसद भवन परिसर से अवकाश के दिन (शनिवार, रविवार या कोई अन्य) ई-अपशिष्ट मदों को बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ज. बोली प्रस्तुत करने के बाद अपने प्रस्ताव को रद्द करने, वापस लेने या निरस्त करने वाली फर्मों की बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

झ. इस मंत्रालय के पास बिना कोई कारण बताए सभी या किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

ञ. बोलीदाता के लिए फर्म के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सहित अपना पूरा नाम / पिता का नाम, डाक का पूरा पता, टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

ट. विवाद, यदि कोई हो, केवल दिल्ली के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

ठ. यदि उच्चतम बोली लगाने वाली फर्म बोली का भुगतान करने में विफल रहती है तो संविदा रद्द कर दी जाएगी और उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में, अगले उच्चतम बोली लगाने वाले पात्र टेंडरदाता (एच-2 बोली लगाने वाला पक्षकार) को बोली पूरी करने का अवसर दिया जाएगा बशर्ते कि वह एच-1 पक्षकार द्वारा दी गई कीमतों को

स्वीकार करने के लिए तैयार हो। किसी भी विवाद के मामले में, मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

ड. टेंडर फार्म पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्याही से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

ढ. कोई भी असत्य या गलत जानकारी प्रस्तुत करने और उसके परिणाम या हानि के लिए अकेले टेंडरदाता फर्म जिम्मेदार होगी।

ण. कोटेशन अनुबंध के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ह./-
(मुकेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 011-23034899
ईमेल: mukesh.kumar.mopa@nic.in

<u>प्रतिलिपि</u>:-

1. सभी मंत्रालय/विभाग
2. एनआईसी को मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
3. सीपीपीपी पोर्टल।

<u>अनुलग्नक</u>

ई-अपशिष्ट के निपटान हेतु दरें प्रस्तुत करने के लिए प्रोफार्मा

बयाना राशि:

डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चेक का विवरण:
संख्या:
दिनांक:
बैंक शाखा:

बोलीदाता का नाम:
पता:
टेलीफोन नंबर:
पैन (प्रतिलिपि संलग्न):
जीएसटी नंबर (प्रतिलिपि संलग्न):

*(पता प्रमाण (राशन कार्ड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति) सहित पूरा होना चाहिए। बोलीदाता दिए गए पते पर पत्रादि प्राप्त करने के लिए सदैव उपलब्ध होना चाहिए।

मैं/हम संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित संपूर्ण ई-अपशिष्ट मदों के लिए उच्चतम कोटेशन (समेकित) निम्नानुसार प्रस्तुत करता/करते हूं/हैं:
रुपये...

2. मैंने/हमने प्रस्ताव के नियमों और शर्तों को, विशेष रूप से बयाना राशि के संबंध में, ध्यान से पढ़ लिया है और मैं/हम इनका अक्षरश: पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं। प्रस्ताव से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय मेरे/हमारे लिए बाध्यकारी होगा।

3. मैं/हम दिनांक .... के टेंडर नोटिस संख्या .... में यथा उल्लिखित सभी या किसी भी नियम और शर्तों का, जो मुझे/हमें एक सफल बोलीदाता घोषित किए जाने पर मेरे/हमारे और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच एक संविदा में परिवर्तित होंगी, पूर्ण या आंशिक रूप से पालन करने में विफल रहता हूं/हैं तो मैं/हम बयाना राशि को जब्त कर लिए जाने के लिए सहमत हूं/हैं।

4. मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/हैं कि सामान का उपयोग केवल वास्तविक/वैध प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

नाम.............................
हस्ताक्षर........................
स्थान.............................
तारीख.............................

<u>पुराने और अनुपयोज्य “ई-अपशिष्ट” की सूची</u>

क्र.सं.	**पुराना और अनुपयोज्य सामान**	**मात्रा**	**न्यूनतम मूल्य (प्रति नग)**	**अधिकतम मूल्य**
1	फोटोकॉपी मशीन	2	रू.3000.00	रू.6000.00
2	स्टेबलाइजर	2	रू.300.00	रू.600.00
3	सी.पी.यू.	4	रू.500.00	रू.2000.00
4	मॉनीटर	2	रू.400.00	रू.800.00
5	यू.पी.एस.	9	रू.400.00	रू.3600.00
6	प्रिंटर	10	रू.400.00	रू.4000.00
7	फैक्स मशीन	3	रू.200.00	रू.600.00
8	होटकेस	2	रू.200.00	रू.400.00
9	फ्लैटबेड स्कैनर	1	रू.500.00	रू.500.00
10	स्पीकर सेट	1	रू.100.00	रू.100.00
11	पीएबीएक्स केटीएस सिस्टम	2	रू.1000.00	रू.2000.00
12	सर्वर	1	रू.3000.00	रू.3000.00
13	रिवॉल्विंग चेयर	2	रू.100.00	रू.200.00
14	मेज़	2	रू.250.00	रू.500.00
15	रेफ्रिजरेटर	1	रू.800.00	रू.800.00
16	प्लाज्मा टीवी - 42 इंच	1	रू.2500.00	रू.2500.00
17	सी.आर.टी. टेलीविज़न	1	रू.200.00	रू.200.00
18	ई-अपशिष्ट	80 कि.ग्रा. (लगभग)	रू.30.00 प्रति कि.ग्रा.	रू.2400.00

कुल रु.30200/- + जीएसटी @ 5%